**राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश**
लखनऊ-२२७१३२

संख्या-ई.स./ 1019 /जीएस.
दिनांक 11 जुलाई,२००३

प्रेषक,

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश ।

सेवा में,

कुलसचिव,
उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय,
इन्स्टीटयूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलाजी परिसर,
सीतापुर रोड,
लखनऊ ।

महोदय,

आपके पत्र संख्या- उ०प्र०प्रा०वि०/कुस०का/२००३/३३१२-१३ दिनांक १६.६.२००३ के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम २००० की धारा २३(२) के अधीन एकेडमी आफ बिजनेस एण्ड इंजीनियरिंग सांइस, गाजियाबाद को कम्प्यूटर सांइस एण्ड इंजीनियरिंग (१२० सीट) इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्युनिकेशन इंजी. (१२० सीट) मैकेनिकल इंजीनियरिंग (६० सीट) पाठ्यक्रमों में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तो के अधीन दिनांक १.७.२००३ से सत्र २००३-०४ हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है :-

१. संस्था अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सम्बद्धता की शर्तो को पूरा करती रहे तथा संस्थान संचालन के लिए विश्वविद्यालय की सम्बद्धता के साथ-साथ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का अनुमोदन भी संस्था/पाठ्यक्रम संचालन हेतु वर्षानुवर्ष प्राप्त होता रहें।
२. संस्था प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या -२०७३/२००३-१६-१-७८/६१ टी. सी.-१ दिनांक २०.६.०३ में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
३. संस्था विश्वविद्यालय की परिनियमावली में उल्लिखित सम्बद्धता से सम्बन्धित परिनियमों का अनिवार्य रूप से अनुपालन करेगी ।
४. संस्था निरीक्षण मण्डल द्वारा निरीक्षण में इंगित कमियों को मानकों के अनुसार उपर्युक्त अवधि में पूरा कर लेगी।

भवदीय

(राकेश कुमार ओझा)
कुलाधिपति के विशेष सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
१. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, प्राविधिक शिक्षा विभाग, लखनऊ।
२. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, कानपुर ।
३. निदेशक अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, इन्दिरा गांधी खेल परिसर, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नयी दिल्ली ।
४. निदेशक, एकेडमी आफ बिजनेस एण्ड इंजीनियरिंग सांइस, गाजियाबाद

(राकेश कुमार ओझा)
कुलाधिपति के विशेष सचिव